समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

अमेरिका से 2,417 भारतीय नागरिकों का निर्वासन, विदेश मंत्रालय ने अवैध प्रवासन पर जारी की चेतावनी

Publisher

Published on 26 Sep 2025

भारत सरकार ने जानकारी दी है कि जनवरी 2025 से अब तक अमेरिका से कुल 2,417 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस तथ्य की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत अवैध प्रवासन के खिलाफ है और कानूनी प्रवासन के मार्गों को बढ़ावा देता है।

अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों की स्थिति :

विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में अवैध रूप से निवास करता है और उसकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि होती है, तो भारत उसे वापस लेने के लिए तैयार है। हालांकि, यह प्रक्रिया नागरिकता की पुष्टि के बाद ही पूरी की जाती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई निर्वासन प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों को उचित सम्मान और मानवाधिकारों का पालन किया गया है।

विदेश मंत्रालय की चेतावनी

विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासन से बचने की सलाह दी है। विशेष रूप से, मंत्रालय ने दक्षिण-पूर्व एशिया में मिलने वाले संदिग्ध रोजगार अवसरों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों को कानूनी मार्गों से ही विदेश यात्रा करनी चाहिए और अवैध एजेंटों से बचना चाहिए।

विदेश मंत्रालय का यह कदम अवैध प्रवासन के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति को दर्शाता है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि भारत केवल कानूनी प्रवासन को बढ़ावा देता है और अवैध प्रवासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अवैध प्रवासन से बचें और कानूनी मार्गों से ही विदेश यात्रा करें।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect,

publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.